# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 2-2026/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 5 जनवरी, 2026
(15 पौष, 1947 शक)

**विधायी परिशिष्ट**


| क्रमांक | विषय वस्तु | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **भाग–I** | **अधिनियम** | |
| | कुछ नहीं | |
| **भाग–II** | **अध्यादेश** | |
| | कुछ नहीं | |
| **भाग–III** | **प्रत्यायोजित विधान** | |
| | अधिसूचना संख्या का०आ० 1/पं०अ० 18/1961/धा० 15/2026, दिनांक 05 जनवरी, 2026– पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2026। | 1—2 |
| **भाग–IV** | **शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन** | |
| | कुछ नहीं | |

**भाग–III**

**हरियाणा सरकार**

विकास तथा पंचायत विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 5 जनवरी, 2026

**संख्या का०आ० 1/पं०अ० 18/1961/धा० 15/2026.–** हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18) की धारा 15 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

**1.** ये नियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

**2.** पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, प्रस्तावना में, "पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18)" शब्दों, कोष्ठकों, चिह्न तथा अंक के स्थान पर, "हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18)" शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम नवम्बर, 1966 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

**3.** उक्त नियमों में, नियम 1 में "पंजाब" शब्द के स्थान पर "हरियाणा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**4.** उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम नवम्बर, 1966 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:–

"(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18)";

**5.** उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (2) में, मद (xxi) में, "पंजाब लघु खनिज (रियायत) नियम 1964" शब्दों, कोष्ठकों, चिह्न तथा अंकों के स्थान पर "हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012" शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

**6.** उक्त नियमों में, नियम 7 में, उपनियम 1 में, "पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961" शब्दों, चिह्न तथा अंकों के स्थान पर "हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984(1984 का 22)" शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

**7.** उक्त नियमों में, प्ररूप V तथा VI में "पंजाब" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर "हरियाणा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ साकेत कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

**Notification**

The 5th January, 2026

**No. S.O. 1/P.A.18/1961/S.15/2026.—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in their application to the State of Haryana, namely:-

**1.** These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Rules, 2026.

**2.** In the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 (hereinafter called the said rules), in the preamble, for the words, sign, figure and brackets "Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961)", the words, sign, figure and brackets "Haryana Village Common Lands (Regulation) Rules, 1961 (Punjab Act 18 of 1961)", shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 1966.

**3.** In the said rules, in rule 1, for the word "Punjab", the word "Haryana" shall be substituted.

**4.** In the said rules, in rule 2, for clause (a), the following clause shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st November, 1966, namely: -

'(a) "Act" means the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961);'.

**5.** In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2), in item (xxi), for the words, sign, figure and brackets "Punjab Minor Mineral (Concession) Rules, 1964", the words, sign and figure "Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012" shall be substituted.

**6.** In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), for the words, sign and figure "Punjab Co-operative Societies Act, 1961", the words, sign and figure "Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (22 of 1984)", shall be substituted.

**7.** In the said rules, in Forms V and VI, for the word "Punjab", wherever occurring, the word "Haryana" shall be substituted.

DR. SAKET KUMAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

12336—L.R.—H.G.P., Pkl.